सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 161/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. मिश्रीलाल पुत्र हिन्दूराम 2. मानाराम पुत्र हिन्दूराम 3. पुखाराम पुत्र हिन्दूराम जाति जाट निवासी भावी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय दिनांक :— 19.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम भावी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी पुखाराम स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर जाहिर किया कि अप्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि को मोबाईल टावर की कम्पनी को इस आधार पर दिया गया कि वह पहले संपरिवर्तन करवाकर अथवा बंटवाड़ा करवाकर अपने खर्चे में कृषि से अकृषि का कार्य करवाया जायेगा। लेकिन कम्पनी ने शर्त को पूर्ण नही किया है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह भी जाहिर किया कि अप्रार्थीगण राज्य सरकार को ग्यारह हजार दो सौ पच्चास रूपये की राशि अदा करने को तैयार है। अप्रार्थी ने अपने जवाब के अन्त में जाहिर किया कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा ग्यारह हजार दो सौ पच्चास रूपये की राशि अदायगी करने का आदेश करावे। अन्य आदेश जो अप्रार्थीगण के पक्ष में हो जो दिलाया जावे।

सरकारी पैरोककार स्वयं उपस्थित ने जाहिर किया कि यदि अप्रार्थी महालेखाकार राजस्थान जयपुर द्वारा निकाली गयी राशि जमा करवा देता है तो अप्रार्थी की कृषि भूमि की खातेदारी निरस्त करने की आवश्यकता नही है। हमने अप्रार्थी व सरकारी पैरोकार की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी।

अतः पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। अप्रार्थी महालेखाकार राजस्थान जयपुर द्वारा निकाली गयी राशि जमा करवाने के लिये तैयार है इसलिए इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः आदेश दिया जाता है कि आज दिन से पन्द्रह दिवस के भीतर राजस्थान महालेखाकार जयपुर द्वारा निकाली गयी राशि 11,250/— जरिये ईचालान के प्रार्थी के मार्फत राज्य कोष में जमा करवा देता है तो यह प्रार्थना पत्र खारिज समझा जावेगा अन्यथा प्रार्थी इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर इस प्रार्थना पत्र को पुनः खुलवाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करवा सकेगा।

अतः अप्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाने के लिख्खित जवाब एवं मौखिक आश्वासन पर उक्त प्रार्थना पत्र की आगामी कार्यवाही बन्द कर पत्रावली फैसल कीक जाती है। प्रार्थना पत्र फैसलसुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा